टी.ए. 108/2026
श्रीपाल बनाम अशोक कुमार

10.07.2026

पत्रावली पेश। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी अशोक कुमार के विद्वान अधिवक्ता को उसके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार एडवोकेट के जरीये तामीला 7 ख के अनुसार पर्याप्त है, परंतु उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं है।

प्रार्थना पत्र 3 ख पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 3 ख आवेदक की ओर से न्यायालय सिविल जज(सी.डि.), मुजफ्फरनगर में विचाराधीन विविध वाद सं. 68/2026 श्रीपाल बनाम अशोक की एवं न्यायालय सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी.सी., मुजफ्फरनगर में विचाराधीन इजराय सं. 01/2017 अशोक कुमार बनाम श्रीपाल की पत्रावलियाँ एक न्यायालय में इस आधार पर अंतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त दोनो वाद एक ही मूलवाद सं. 352/2015 अशोक कुमार बनाम श्रीपाल में पारित एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांकित 22.10.2016 से संबंधित हैं। अतः उपरोक्त दोनों वादों को किसी एक सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

न्यायालय सिविल जज(सी.डि.), मुजफ्फरनगर से प्राप्त आख्यानुसार विविध वाद सं. 68/2026 श्रीपाल बनाम अशोक जो कि इजराय सं. 01/2017 अशोक कुमार बनाम श्रीपाल से संबंधित है, उस न्यायालय में लंबित है। इसी प्रकार न्यायालय सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी.सी., मुजफ्फरनगर की आख्यानुसार इजराय सं. 01/2017 अशोक कुमार बनाम श्रीपाल की पत्रावली उस न्यायालय में लंबित है।

अतः सुविधा की दृष्टि से बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये चूंकि उपरोक्त दोनों वाद एक ही मूलवाद सं. 352/2015 अशोक कुमार बनाम श्रीपाल से संबंधित होने बताये हैं इस कारण न्यायालय सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी.सी., मुजफ्फरनगर में लंबित इजराय सं. 01/2017 अशोक कुमार बनाम श्रीपाल की पत्रावली को विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज(सी.डि.), मुजफ्फरनगर में अंतरित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 17:49:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court